सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

25 ज्येष्ठ, 1944 (श०)

संख्या - 283 राँची, बुधवार, 15 जून, 2022 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

15 जून, 2022

संख्या-एल०जी०-04/2011-136—लेज० झारखंड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर माननीय राष्ट्रपति दिनांक-**24/05/2022** को अनुमति दे चुकें है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (झारखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2020
(झारखण्ड अधिनियम संख्या- 06, 2022)

झारखंड राज्य में अनुप्रयोग हेतु दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्या-2) में और संशोधन हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के 71वें वर्ष में झारखंड राज्य विधान-सभा द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित होः-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ-**

(1) **यह अधिनियम दंड प्रक्रिया संहिता (झारखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2020 कहा जाएगा।**

(2) **इसका विस्तार पूरे झारखंड राज्य में होगा ।**

(3) **यह राजकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा ।**

2. **दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (जिसे इसके पश्चात् संहिता कहा जाएगा) की धारा-299 की उपधारा (1) के वर्तमान प्रावधान को शीर्षक सहित निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगाः-**

"299. अभियुक्त की अनुपस्थिति में परीक्षण एवं विचारण-(1) संहिता में किसी बात के होते हुए भी यदि यह प्रमाणित होता है कि अभियुक्त व्यक्ति फरार हो गया है और उसके तुरंत गिरफ्तार किये जाने की कोई संभावना नहीं है, तो दर्ज अपराध के लिए वाद का विचारण सक्षम न्यायालय में अभियुक्त की अनुपस्थिति में जारी रहेगा एवं न्यायालय किसी गवाह, जिसका साक्ष्य पूर्व में अभिलेखित हो गया हो को पुनः बुलाने या सुनने के लिए या पूर्व में पूर्ण की गई कार्रवाई को पुनः प्रारंभ करने के लिए बाध्य नही होगा, बल्कि पूर्व में प्रस्तुत किये गये या अभिलेखित साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई कर सकेगा तथा जिस चरण तक वाद का विचारण हो चुका हो वहाँ से आगे जारी रख सकेगा एवं विचारण पूर्ण होने पर निर्णय सुनायेगा।

परंतु यह कि न्यायालय फरार अभियुक्त के बचाव के लिए राज्य के व्यय पर एक अधिवक्ता नियुक्त कर सकेगा।

स्पष्टीकरणः- अभियुक्त की अनुपस्थिति में विचारण में फरार अभियुक्त के विरूद्ध यथास्थिति आरोप का गठन या अभियोग सारांश की व्याख्या सम्मिलित होगा।"

3. **उपर्युक्त उपधारा (1) के पश्चात् संहिता में एक नई उप-धारा निम्नवत् अंतःस्थापित की जाएगीः-**

"(1) अ- संहिता में किसी बात के होते हुए भी, जब कोई व्यक्ति किसी अपराध का अभियुक्त है और जमानत पर या प्रतिभू सहित या रहित बंध पत्र पर मुक्त किया गया है, न्यायालय में बिना पर्याप्त कारण के जमानत या बंध पत्र के शर्तो के अधीन उपस्थित होने में असफल होता है, तो अभियुक्त को सम्मन तामिल के पश्चात् न्यायालय जाँच या विचारण उसकी अनुपस्थिति में कर सकेगा तथा न्यायालय किसी गवाह को पुनः बुलाने या सुनने, जिसका साक्ष्य पूर्व में अभिलेखित किया जा चुका हो, या पूर्व में पूर्ण की गई कार्रवाई को पुनः प्रारंभ करने के लिए बाध्य नहीं होगा, बल्कि पूर्व में प्रस्तुत किये गये या अभिलेखित साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई कर सकेगा तथा जिस चरण तक वाद का विचारण हो चुका हो वहाँ से आगे जारी रख सकेगा एवं विचारण पूर्ण होने पर निर्णय सुनाएगा।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

नलिन कुमार,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची ।

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

15 जून, 2022

संख्या-एल०जी०-04/2011-137—लेज० झारखंड विधान मंडल द्वारा यथा पारित और माननीय राष्ट्रपति दिनांक-**24/05/2022** को अनुमत **दण्ड प्रक्रिया संहिता (झारखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2020** का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारत का संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

The Code of Criminal Procedure (Jharkhand Amendment) Act, 2020

(**Jharkhand Act - 0**6**, 202**2)

An Act to further amend the Code of Criminal Procedure,1973 (Act No.-2 of 1974) in its application to the State of Jharkhand.

Be it enacted by the Legislative Assembly of the State of Jharkhand in the Seventy One Year of the Republic of India as follows:-

1. Short Title, Extent and Application-

   (1) This Act may be called the Code of Criminal Procedure (Jharkhand Amendment) Act, 2020

   (2) It extends to the whole of the State of Jharkhand

   (3) It shall come into force from the date of its publication in the official gazette.

2. The existing provision of sub section (1) of Section 299 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (hereinafter referred as the Code) alongwith its heading shall be substituted as follows:-

   "**299. Inquiry and Trial in absence of accused :-** (1) Notwithstanding anything contained in the Code, if it is proved that an accused person has absconded, and there is no immediate prospect of arresting him, trial of the case shall proceed in absentia in the Court of competent jurisdiction for the offence complained of and the Court shall not be bound to recall or rehear any witness, whose evidence has already been recorded or to reopen proceedings already held, but may act on the evidence already produced or recorded and continue the trial from the stage which the case has reached and pronounce Judgment at the conclusion of the trial.

   Provided that the Court may assign a pleader for the defence of the absconding accused at the expense of the State.

Explanation : The trial in absentia shall include framing of charges or explaining the substance of accusation, as the case may be against the absconding accused"

3. After above sub section (1) a new sub section shall be inserted in the Code as follows:-

"(1) A - Notwithstanding anything contained in the Code, where a person accused of an offence and released on bail or on bond with or without sureties, fails to appear in Court without any sufficient cause in accordance with the terms of the bail or bond, the Court may after service of summons to the accused proceed with the inquiry or trial in his absence and the Court shall not be bound to recall or rehear any witness, whose evidence has already been recorded, or to reopen proceeding already held, but may act on the evidence already produced or recorded and continue the trial from the stage which the case has reached and pronounce judgement at the conclusion of trial."

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

नलिन कुमार,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 283 - 50